राज्यसभा (Council of State)

राज्य सभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है।* इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Rajya Sabha is the second or upper house of the Indian Parliament.* It consists of members from the states. These members represent the states and union territories.

Art. 80 ⇒ राज्यसभा

- उच्च सदन (Upper House), निम्न सदन (Lower House) - LS
- स्थायी सदन (Permanent House), अस्थायी सदन Temporary House ⇒ LS
- द्वितीय सदन (IInd House), प्रथम सदन (First House) ⇒ LS
- राज्यों का सदन (House of states) / या आ / राज्य की परिषद् (Council of states) ⇒ House of the people (जनता का सदन) (LS)
  ⇒ प्रसिद्ध सदन famous House ↓ LS

राज्यसभा का गठन (Composition of Rajya Sabha)-

अनुच्छेद 80 में यह उपबन्धित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जायेंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किये जायेंगे।

(वर्तमान में राज्य सभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है।)

Art. 80 ⇒ राज्यसभा का गठन (Composition of RS)

⇒ सदस्यों से

Maximum Members (अधिकतम सदस्य) ⇒ 250

- 238 (States + U.T's)
- 12 ⇒ Nominated
  मनोनीत ⇒ Art. 80
  ⇓
  By the President
  राष्ट्रपति द्वारा।

  कला – Art
  साहित्य → Literature
  विज्ञान → science
  समाज सेवा → social service

वर्तमान (Present)

245 members
सदस्य

- 233 (States + U.T's)
- 12 ⇒ Nominate (मनोनीत)

28 states

3 → U.T's ⇒ Delhi, Puducherry, JK

Article 80 provides that the Rajya Sabha can have a maximum of 250 members. Out of these, 238 members will be elected from the states and union territories and 12 members will be nominated by the President from among persons having special knowledge or experience in the field of art, literature, science and social service. At present, the total number of members of the Rajya Sabha is 245.

सदस्यों का निर्वाचन Election of Members

राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।*

The members of the states and union territories in the Rajya Sabha are elected by the elected representatives of the Legislative Assemblies.*

सदस्यों का निर्वाचन (Election of Members) ⇒ अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election)

↳ Voters (मतदाता) ⇒ elected MLAs (निर्वाचित विधायक)

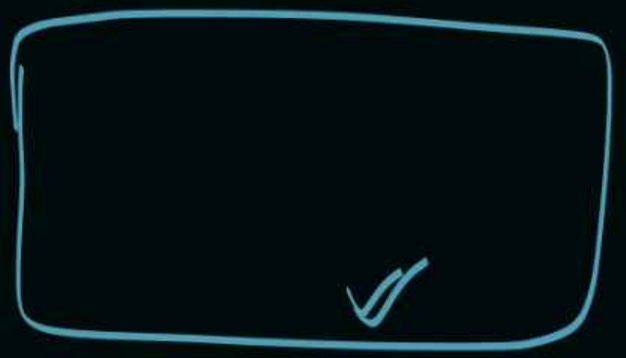
कार्यकाल Tenure

राज्यसभा सदस्यों का

संविधान के अनु. 83 (1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है।* यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है।

245 → 1/3 members, every 2 years

According to Article 83 (1) of the Constitution, the Rajya Sabha is a permanent house.* It is never dissolved, but one-third of its members retire at the end of every second year. In this way, every member remains a member of the Rajya Sabha for 6 years.



(245) 1/3 सदस्य सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण।

राज्यसभा का सदस्य (MP) ⇒ कार्यकाल ⇒ 6 वर्ष

त्यागपत्र (Resignation) ⇒ सभापति (chairman)

⇒ लोक सभा सदस्य त्यागपत्र ⇒ लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of LS)

सभापति और उपसभापति Chairman & Deputy Chairman

राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं - सभापति (Chair- man) और उपसभापति (Deputy Chairman)। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है

There are two main officials of Rajya Sabha - Chairman and Deputy Chairman. The Vice President of India is the ex-officio Chairman of Rajya Sabha.

→ Art. 89-92

अनु० 89 ———— राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति का पद रिक्तहोने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करता है।

Article 89 The Rajya Sabha elects one of its members as Deputy Chairman for 6 years. When the post of Chairman is vacant, the Deputy Chairman performs the duties of the Chairman in his absence.

उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। उपसभापति किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकता है। साधारण बहुमत (Simple Majority)

The Deputy Chairman can be removed by passing a resolution by a majority of all the then members of the Rajya Sabha. The Deputy Chairman can resign his post at any time by writing under his signature addressed to the Chairman.

सभापति (chairman) ⇒ (उपराष्ट्रपति)

- RS के सदस्य नहीं होते।
- इनका निर्वाचन होता है।
- कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष
- त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति को देते हैं।
- सभापति के कार्य (Function of chairman)
  - (1) राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
  - (2) सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व होता है।

उपसभापति (vice-chairman)

- राज्य सभा के सदस्य होते हैं।
- इन्हें RS के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना (choose) जाता है।
- कार्यकाल (Tenure) ⇒ 6 वर्ष
- त्यागपत्र ⇒ सभापति को देते हैं।
- उपसभापति को कैसे हटाया जाता है?
- जैसे सभापति को हटाया जाता है वैसे ही।

(3) असंसदीय भाषा (Unparliamentary Language) के प्रयोग पर सदन में रोक लगाते हैं।

(4) दल-बदल के आधार पर सदस्य पर निर्योग्यता (Disqualify) के प्रश्न का निर्धारण करते हैं।

(5) मत बराबर आने पर निर्णायक मत (Casting vote) का प्रयोग करते हैं।

(6) राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

उपसभापति का कार्य (Function of Vice-chairman) => जब सभापति का पद किसी कारण रिक्त (vacant) हो या वे अपने पद पर अनुपस्थित (Absent) हो तब उपसभापति, सभापति के रूप में कार्य करते हैं।

LS/RS सदस्यों की पद रिक्ति ⇒ Art. 101

(1) त्यागपत्र के कारण

(2) मृत्यु हो जाये/

(3) जब इन्हें निर्योग्य (Disqualify) घोषित कर दिया जाये।

(4) दल-बदल कानून लागू हो जाये।

अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की बैठकों में 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।*

(S)

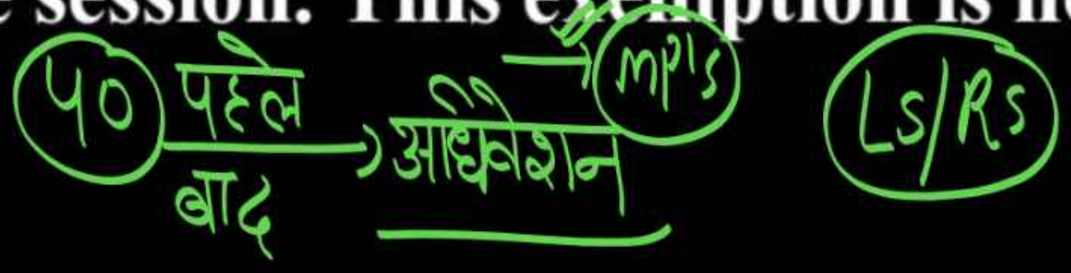
According to Article 101(4), a member of either House of Parliament ceases to be a member if he is absent from any sitting of the House for a continuous period of more than sixty days without the permission of the House.*

A → MP / MLA / MLC

संसदीय विशेषाधिकार Parliamentary Privileges

अनुच्छेद-105 संसद सदस्यों को, संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है।

Article 105 Members of Parliament shall not be arrested in any civil case during a session of Parliament or 40 days before or after the session. This exemption is not available in criminal cases.



किसी संसद सदस्य को, संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जायेगा।

No Member of Parliament shall be compelled to appear as a witness before any Court during a session of Parliament without the permission of the Speaker or the Chairman, as the case may be.

MP

संसद की विधायी प्रकिया

Legislative Procedure of the Parliament

साधारण विधेयक संबन्धी प्रक्रिया साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है

Procedure regarding Ordinary Bill An Ordinary Bill can be introduced in either House of Parliament by a Minister of the Government or a Member of Parliament

विधेयक	वर्ष	प्रधानमंत्री
दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1960 बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002*	1961 1978 2002	जवाहर लाल नेहरू * मोरारजी देसाई अटल बिहारी वाजपेयी

धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया

Procedure for passing a Money Bill

धन विधेयक को संविधान के अनु. 110 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है तथा उसे पारित करने के लिए अनु. 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।* अनु. 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।

Money Bill is defined under Article 110 of the Constitution and special procedure is provided under Article 109 for its passing.* According to Article 109, Money Bill cannot be introduced in Rajya Sabha.

इसे केवल लोक सभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किये जाने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है लोकसभा द्वारा पारित किये जाने के बाद विधेयक को राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। इसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाण पत्र भी संलग्न होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है।

It is introduced only in the Lok Sabha. The President's consent is necessary before the Money Bill is introduced in the Lok Sabha. After being passed by the Lok Sabha, the Bill is sent to the Rajya Sabha for its recommendation. A certificate from the Lok Sabha Speaker stating that the Bill is a Money Bill is also attached to it.

राज्यसभा को विधेयक 14 दिन के अन्दर सिफारिश सहित या रहित लोकसभा को लौटाना होता है।* यदि राज्य सभा 14 दिन के अन्दर धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं करती है

The Rajya Sabha has to return the bill to the Lok Sabha within 14 days with or without recommendations.* If the Rajya Sabha does not return the Money Bill to the Lok Sabha within 14 days

तो भी उक्त अवधि की समाप्ति पर विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे उसकी पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।*

However, on the expiry of the said period, the bill is deemed to have been passed by both the Houses. The President cannot return the money bill for reconsideration, because it is presented in the Lok Sabha only with his prior permission.*

संविधान संशोधन विधेयक (The Constitution Amendment Bill)

संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

Can be introduced in either House of the Parliament.

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

Annual Financial Statement (Budget)

अनुच्छेद 112 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा 'बजट' के बारे में है। (2017 के पूर्व भारत में दो तरह के बजट पेश किये जाते थे-

Article 112 is about the 'Annual Financial Statement' or 'Budget'. (Before 2017, two types of budgets were presented in India-

रेल बजट तथा आम बजट वर्ष 2017 में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया बजट में भारत सरकार की - आगामी वर्ष में आय और व्यय का विवरण तथा सरकार की वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है।

Railway Budget and General Budget In the year 2017, the Railway Budget was merged into the General Budget by the Narendra Modi Government. The budget contains details of the income and expenditure of the Government of India for the coming year and the financial policies of the government.

विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)

अनु. 114 में कहा गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं।*

Article 114 states that no money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except through an Appropriation Bill.*

प्रश्न काल (Question Hour)

कार्यवाही का प्रथम घण्टा (दोपहर 11 से 12 बजे तक) प्रश्न काल होता है राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामले पर जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछा जाता है।

The first hour of the proceedings (from 11 am to 12 noon) is called Question Hour. Questions are asked to the Council of Ministers for information on all kinds of national and international matters.

यह प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में (1721 में) शुरू हुई थी। * भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुई थी।

This process was first started in England (in 1721). * In India, the process of asking parliamentary questions was first started in the Indian Council Act of 1892.

(i) (तारांकित प्रश्न (Stared Question)

(ii) (अतारांकित प्रश्न (Unstared Question)

(iii) (अल्प सूचना प्रश्न Short Notice Questions)

अल्प सूचना प्रश्न का सम्बन्ध किसी लोकमहत्व के तात्कालिक मामले से होता है;

Short notice question relates to an immediate matter of public importance;

(शून्यकाल (Zero Hour)

प्रश्न काल के तुरन्त बाद का एक घण्टे का समय शून्य काल कहा जाता है इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है इसे 'प्रश्न-उत्तर सत्र' भी कहा जाता है।*)भारतीय संसदीय प्रक्रिया में 'शून्यकाल' शब्द का उल्लेख नहीं है।

The one hour time immediately following the Question Hour is called Zero Hour. In this any question of public importance can be raised without prior notice. It is also called 'Question-Answer Session'.*) The term 'Zero Hour' is not mentioned in the Indian Parliamentary Procedure.

चूंकि यह समय ठीक दोपहर 12 बजे (00 बजे) आरम्भ होता है अत: मीडिया द्वारा इसे शून्य काल नाम दे दिया गया है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्य काल भारत की देन है। इसका आरम्भ 1962 मे किया गया तथा वर्तमान में शून्य काल के दौरान कुल 20 मामले उठाये जा सकते हैं

Since this time starts exactly at 12 noon (00 o'clock), the media has named it Zero Hour. Thus, Zero Hour is India's contribution to the parliamentary system. It was started in 1962 and currently a total of 20 cases can be raised during Zero Hour.

(अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion)

भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।* अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा हुआ है इसे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

No-confidence motion is not mentioned in the Constitution of India. * No-confidence motion is associated only with the proceedings of the Lok Sabha. It is presented by the opposition party or opposition parties in the Lok Sabha.

लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसर्मथन आवश्यक है* इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है*

The no-confidence motion must be ratified by at least 50 members of the Lok Sabha. This motion expresses no confidence in the Council of Ministers.

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श पूर्ण होने के पश्चात् अध्यक्ष उसे लोकसभा में मतदान हेतु रखता है, और यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

After the discussion on the proposal is completed, the speaker puts it to vote in the Lok Sabha, and if this proposal is passed in the Lok Sabha then the Council of Ministers has to resign.

सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरु मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा लाया गया था।*

The first no-confidence motion was brought against the Jawaharlal Nehru cabinet by Acharya Kripalani in 1963.*